न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 63/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00342

प्रार्थी :–

1. मदनलाल पुत्र गीगाराम
2. जोगाराम पुत्र गीगाराम
3. बचनाराम पुत्र गीगाराम, समस्त जातिगण मेघवाल, निवासीगण मैन जोधपुर रोड गरनिया, तहसील जैतारण, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत गरनिया पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली
2. भंवरलाल पुत्र गीगाराम, जाति मेघवाल, निवासी गरनिया, तहसील जैतारण
3. मृतक हणुतराम पुत्र करणाराम जाति मेघवाल निवासी गरनिणा के विधिक वारिसान–
   3.1 कोयली उर्फ कविता पुत्री हणुतराम पत्नी त्रिलोकराम जाति मेघवाल, हाल निवासी मोहराकलां, तहसील रायपुर
   3.2 मथुराई पुत्री हणुतराम, पत्नी अमराराम जाति मेघवाल निवासी हाल रामावास कलां, तहसील जैतारण
4. मृतक पाबूराम पुत्र करणाराम, जाति मेघवाल निवासी गरनिया के विधिक वारिसान–
   4.1 मृतका पिस्ता पुत्री स्व. पाबूराम पत्नी स्व. मंगाराम जाति मेघवाल निवासी बिरोल, तहसील जैतारण के विधिक वारिसान–
   4.1.1 बींजाराम पुत्र स्व. मंगाराम
   4.1.2 मुकेश पुत्र स्व मंगाराम
   4.1.3 सांवरराम पुत्र स्व.मंगाराम, समस्त जातिगण मेघवाल, निवासीगण बिरोल तहसील जैतारण, जिला पाली
   4.2 चान्दुडी उर्फ चान्दादेवी पुत्री पाबुराम पत्नी अमृतलाल, जाति मेघवाल, निवासी निमाज,तहसील जैतारण, जिला पाली
5. सक्षम प्राधिकारी(भूमि आवाप्ति)एवं उपखण्ड अधिकार, जैतारण,जिला पाली
6. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 148, उम्मेद हेरिटेज रातानाडा, जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी।
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी।

:: [illegible] ::

दिनांक :– 8/3/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के [illegible] द्वारा मिसल संख्या [illegible] दिनांक ....संकल्प संख्या 02 दिनांक 02.02.1981 की पालना में भंवरलाल पुत्र [illegible] के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 08.02.1981 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

किया गया तथा ग्राम पंचायत गरनिया का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का एक व्यवसायिक व रहवासीय परिसर आबादी मौजा ग्राम गरनिया जैतारण जोधपुर जाने वाली मुख्य सड़क नेशनल हाईवे पर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से निंविवादित अधिकार एवं आधिपत्य है पहले उक्त परिसर मे बाडे व कच्चा रहवास था जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण कराया जाकर दुकान व रहवासीय मकान बनाये गये है परिसर को प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा कर अपने–अपने हिस्से पर सभी काबिज है उक्त परिसर का अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचाययत गरनिया के द्वारा अप्रार्थी संख्य्या 2,3 व 4 के पक्ष मे फर्जी व कुटरचित जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई उक्त पट्टा विधि व नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है मिसल एवं प्रस्ताव्र की प्रमाणित प्रति की मांग अप्रार्थी संख्या 1 से मांगी गई तो ग्राम पंचायत गरनिया ने मात्र पट्टे की प्रति ही उपलब्ध कराई शेष रेकार्ड उपलब्ध नही होने बाबत सुचित किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के गलत व बाले–बाले नाप व आकार का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सख्या दो तीन व चार भंवरलाल हनुतराम के वारिसान तथा स्व पिस्ता पुत्री पाबूराम पत्नी स्व. मंगाराम के वारीसान का कभी भी जैर निगरानी आराजी पर कब्जा नही रहा फिर भी ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा बिना आवेदन प्राप्त किए बिना मिसल कायम किए बिना कोरम के प्रस्ताव एवं आज्ञा के एवं बिना प्रतिफल प्राप्त किए जैर निगरानी पटटा जारी किया कर दिया जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 से अन्य अप्रार्थीगण ने मिलावट व बिना नियमों के विधिक कार्यवाही किए बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

बिलाडा नेशनल हाईवे नम्बर 112 की चौड़ीकरण/फोरलेन हेतु पेड सोकर का निर्माण कार्य चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवाप्त की जाने की कार्यवाही से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराये माफिक सर्वे प्रार्थीगण का निर्विवादित अधिकार एवं अधिपत्य प्रमाणित हुआ तथा अप्रार्थी सं. 2,3,4 का जैर निगरानी भूमी मे कोई अधिकार आधिपत्य प्रमाणित नही हुआ इससे भी पट्टा फर्जी व कुटरचित होना सिद्ध होता है तथा काबिल खारिज है।

मुआवजा प्राप्त करने की बाला–बाला कोशिश सफल नही होने पर दिनांक 20.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 4/2 द्वारा बताया गया कि उनके पास जैर निगरानी आराजी का पट्टा है जो मकान व दुकानों का है जिस पर हम काबिज हो जायेगें तथा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेगें तब प्रार्थीगण को पट्टे की जानकारी हुई तो नकलें ली जाकर निगरानी पेश की गई । सन 1981 से जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थीगण का आवास था। तो पट्टा उनके पास होने या बनाने का आधार ही नही इसलिए सिद्ध है कि पट्टा ग्राम पंचायत से मिलावट कर बनाया गया था जो खारिज किए जाने योग्य है जैर निगरानी आराजी प्रार्थीगण की निर्विवादित अधिकार व आधिपत्य की है जिसके उक्त भूमि के मुआवजे के वास्तविक हकदार है अप्रार्थी संख्या 2,3,4 जैर निगरानी पट्टे के आधार पर अनाधिकृत रूप से मुआवजा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 से कर सकते है। इसलिए पांच व छः को पक्षकार बनाया गया है व उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त फरमाया जावें। अपने तर्को के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पाबु व हनुत के नाम दो अन्य पट्टे की फोटो प्रतियां तथा बिजली के बिल प्रार्थीगण के नाम तथा प्रार्थीगण के मतदाता पहचान पत्र भी उक्त आराजी के पत्ते से बने हुए पेश किए गए जो पत्रावली संलग्न है।

अप्रार्थीगण भंवरलाल वगैरा ने जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थीगण के काबिज होने की बात कही तथा कब्जा होने के आधार पर ही पट्टा उनके नाम जारी किया गया है भंवरलाल ने जैर निगरानी पट्टा एवं आराजी का सामलाती होना बताया तथा पाबुराम इनके पडौस मे रहता था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.08.16 19:20:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

उसकी माता के मतदाता पहचान पत्र का हवाला देते हुए कथन किया कि वह भी ग्राम गरनिया में रही थी इस वजह से ही मतदाता पहचान पत्र मे वहां का पता है। जैर निगरानी पटटा संख्या 8 दिनांक 08.02.1981 ग्राम गरनिया की पट्टा बुक मे विद्यमान है जो सकल्प संख्या 2 दिनांक 02.02.1981 की पालना में दिनांक 08.02.1981 को जारी किया गया है। इस बाबत प्रस्ताव लिया गया है। प्रस्ताव दिनांक 26.05.1978, 8.9.78 ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है मिसल उपलब्ध नही होना ग्राम सेवक द्वारा अंकित किया गया है। लेकिन मिसल के अभाव में पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नही है उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावें तथा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत निगरानी के अवलोकन उपरांत इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि–

1. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।

जैर निगरानी पट्टे से सबधित बैठक कार्यवाही विवरण तथा पट्टा बुक इस न्यायालय को भिजवाई गई है जिसके अवलोकन दिनांक 26.05.1978 ,8.9.78 एवं एक प्रस्ताव अन्य जिस पर दिनांक अंकित नही है, जैर निगरानी पट्टा बाबत ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए है तथा पट्टा बुक में पट्टा संख्या 8 दिनांक 08.2.1981 को जारी सुदा है जो भंवरलाल पुत्र गीगाराम भांबी तथा हनुंतराम पाबुराम पुत्र करनाराम भांबी सा0 गरनिया के नाम जारी सुदा है जो संकल्प संख्या 2 दिनांक 2.2.1981 की पालना मं जारी किया गया है जिस पर सरंपच व ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर है। नियमों की पालना बाबत मिसल नही होने से उसका पूर्ण परीक्षण संभव नही है। परन्तु मूल मिसल का अभाव पट्टे की अवैधानिकता व अनियमितता घोषित करने का विधिक कारण नही माना जा सकता है। निगरानी का मूल आधार निगरानी कर्ता का जैर निगरानी आराजी पर कब्जा होना बताया है। तथा इसका निर्णय किया जाना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। एंव धारा 97 के तहत अनुमत भी नही है। जैर निगरानी आराजी के हक अधिकारों हेतु निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है, एवं ग्राम पंचायत गरनिया द्वारा मिसल संख्या 18 दिनांक ....., सकंल्प सख्या 2 दिनांक 02.02.1981 के पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 8.2.1981 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया ।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:20:14 IST
Reason: SelfAttested